

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 93/2011 (2011/00003)

वादीगण

1. सोहनी देवी पत्नी वेधप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
जिला नागौर राजस्थान।
सत्यमेव जयते

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति जांगीड़ निवासी खारियों की ढाणी, कुकनवाली
2. भंवरसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत
3. जेठाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
4. नारायणराम पुत्र दुलाराम
5. टीकूराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील नावां
6. जवाराराम पुत्र हणुताराम जाति जाट
7. पुष्पादेवी पत्नी चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
8. टोडाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी टोडास तहसील कुचामनसिटी
9. सीताराम पुत्र हनुमानाराम जाति कुम्हार निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
10. मन्दूलाल पुत्र हनुमानप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
11. गिरधारीराम पुत्र रतनाराम जाति जाट
12. सुखीदेवी पत्नी गिरधारीराम जाति जाट निवासीयान देउसर तहसील कुचामनसिटी
13. रामेश्वरलाल पुत्र रूघाराम जाति ब्राह्मण
14. सियाणसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
15. प्रभुसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
16. ज्ञानसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
17. दिलिपसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
18. बुधकंवर बेवा सुमेरसिंह जाति राजपूत
19. नरेन्द्रकुमार पुत्र मालचंद जाति कुम्हार निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
20. बुधाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट
21. प्रभुराम पुत्र नारायणराम जाति जाट
22. रामनिवास पुत्र रामूराम जाति जाट
23. गोपाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासीगण देउसर तहसील कुचामनसिटी
24. राजस्थान सरकार जरीए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी
जिला नागौर राजस्थान


वाद बाबत भू-विभाजन व इस्तकरार हक अधा. 88,53 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :- 28/02/

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है। निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 10.02.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम (मौका रिपोर्ट) मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक भूअ./2017/196 दिनांक 10.02.2017 के द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाई, शामिल मिसल है। वकील वादी ने बहस सुनाई, बहस सुनाते हुये कथन किया कि पत्रावली में तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा के अंतिम डिक्री आदेश फरमावें।


वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.02.2012 एवं संलग्न मौका बंटवारा स्कीम का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री अनुसार ही मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 582 रकबा 0.71 है0 में से वादीया सोहनीदेवी पत्नी वैधप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्ममण निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी को 0.07 है0 में से 671.572 वर्गमीटर एवं शेष प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र जीवन जाति जांगीड़ निवासी खारीयों की ढाणी कुकनवाली को 28.428 वर्गमीटर (34 वर्गगज) का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। बंटवारा स्टाम्प ड्युटी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 28/02/2018 को टंकण कराकर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर किया गया


(सि. सुखे गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)